

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पत्रांक - गोपनीय/2021/ ३४६ ,

दिनांक 22-07-2021

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

समस्त परिसर/महाविद्यालय/संस्थान (विधि)

(सम्बद्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय)।

महोदय,


वर्तमान में व्याप्त कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की आगामी निकट भविष्य में आयोजित होने वाली सम सेमेस्टर/वार्षिक पद्धति की परीक्षाओं एवं वर्तमान परीक्षाओं के परीक्षाफलों के सम्बन्ध में दिनांक 08-07-2021 को सम्पादित परीक्षा समिति तथा दिनांक 09-07-2021 को सम्पादित विद्या परिषद् की बैठक में मानक निर्धारित किये गये। उक्त बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं अनुमोदन के क्रम में तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् की दिनांक 10-06-2021 को निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर विधि पाठ्यक्रम की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं तथा परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में मानक निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित आवश्यक बैठक दिनांक 19-07-2021 को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में सम्पादित हुई।

विधि पाठ्यक्रम की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं तथा परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19-07-2021 को सम्पादित बैठक में लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित किये जाने की संस्तुति की गयी है। दिनांक 19-07-2021 को सम्पादित बैठक की कार्यवाही का विस्तृत विवरण आपको आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न - यथोपरि।

भवदीय


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि - निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।


परीक्षा नियंत्रक



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश – केयू/आर0ओ0/2021–22/94, दिनांक –

13–07–2021 के द्वारा गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश – केयू/आर0ओ0/2021–22/94, दिनांक 13–07–2021 के संदर्भ में विश्वविद्यालय की वर्तमान में संचालित होने वाली विधि की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं एवं परीक्षाफल के सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19–07–2021 को बैठक सम्पादित हुई। जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे –

1. संकायाध्यक्ष, कला संकाय, अतिरिक्त प्रभार, समन्वयक विधि, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
2. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
3. निदेशक, डी0आई0सी0, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
4. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. परीक्षा नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. उप परीक्षा नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

बैठक की कार्यवाही का विस्तृत विवरण

विश्वविद्यालय के पत्रांक – केयू/आर0ओ0/2021–22/94, दिनांक 13–07–2021 के द्वारा गठित समिति के सदस्यों की विश्वविद्यालय विधि पाठ्यक्रम की समस्त विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के सम्बन्ध में अपराह्न 03:00 बजे बैठक सम्पादित हुई। बैठक में समस्त सदस्यों द्वारा वर्तमान में सम्पूर्ण देश/प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न संक्रमण दर की अत्यधिक वृद्धि का अवलोकन किये जाने के उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया –

1. विश्वविद्यालय की विधि पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टरों (प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर इत्यादि) की परीक्षाएँ माह मार्च–अप्रैल 2021 में की प्रारम्भ करायी जानी प्रस्तावित थी परन्तु तत्समय कोविड-19 के संक्रमण दर में अत्यधिक वृद्धि के दृष्टिगत उक्त परीक्षाएँ तत्समय सम्पादित नहीं करायी जा सकी।
2. समिति द्वारा यह भी विचार विमर्श किया गया कि विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 09–07–2021 में अनुमोदित प्रस्तावों के बिन्दु सं0–26 में निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय में संचालित यदि कोई पाठ्यक्रम किसी नियामक संरथा से संचालित होते हैं तो ऐसे समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं एवं परीक्षाफल के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियामक संरथा द्वारा निर्धारित नियम प्रभावी होंगे।
3. समिति द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद् (Bar Council of India) द्वारा दिनांक 10–06–2021 का निर्गत प्रेस विज्ञाप्ति का संज्ञान लिया गया। जिसके द्वारा परीक्षाओं को आयोजित किये जाने हेतु Online/Offline/Blended/Online Open

19.7.2021

1
संकाय

(निति विभाग)
19.7.2021

Book Exam (OBE)/Assignment Based Evaluation (ABE)/Research Papers के माध्यम से परीक्षाएँ सम्पादित कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। समिति द्वारा उक्त प्रेस विज्ञप्ति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित विधि पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से यह संस्तुति की गयी कि समस्त विधि पाठ्यक्रमों में प्रत्येक प्रश्नपत्र हेतु पृथक-पृथक एक ऑनलाईन Assignment Based Evaluation (ABE) सम्बन्धित परिसर/संस्थान के माध्यम से सम्पादित कराकर उक्त ऑनलाईन Assignment Based Evaluation (ABE) मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कराये जायेंगे। उक्त ऑनलाईन Assignment Based Evaluation (ABE) मूल्यांकन प्रत्येक प्रश्नपत्र हेतु 100 अंकों का होगा। उक्त ऑनलाईन Assignment Based Evaluation (ABE) हेतु परीक्षा अनुभाग द्वारा विधि पाठ्यक्रमों के समस्त विद्यार्थियों का डाटा सम्बन्धित परिसर/संस्थान के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा।

4. समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह भी प्रस्तावित किया गया कि यदि किसी परिसर/संस्थान द्वारा ऑनलाईन Assignment Based Evaluation (ABE) मूल्यांकन में किसी परीक्षार्थी को 75 प्रतिशत से अधिक अंक आवंटित किये जाते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे परीक्षार्थी के Assignment को मंगवाया जा सकता है तथा ऐसे परीक्षार्थी के ऑनलाईन Assignment को विश्वविद्यालय द्वारा अन्य बाह्य परीक्षक से मूल्यांकित कराया जायेगा तथा बाह्य परीक्षक द्वारा उक्त परीक्षार्थी के Assignment का मूल्यांकन करने के उपरान्त जो अंक प्रदान किये जायेंगे, वही अंक परीक्षार्थी को आवंटित किये जायेगे।
5. विधि पाठ्यक्रमों के समस्त अंतरिम (Intermediate Odd Semester) विषम सेमेस्टरों (प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर) के परीक्षार्थियों की जिन प्रश्नपत्रों/विषयों की परीक्षाएँ वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत अद्यतन सम्पादित नहीं करायी जा सकी, ऐसे प्रश्नपत्रों/विषयों में अंक आवंटित कर परीक्षाफल तैयार कराये जाने हेतु समिति द्वारा व्यापक छात्रहित में निम्न मानक निर्धारित किये गये –
 - 50 प्रतिशत अधिमान अंक Assignment Based Evaluation (ABE) मूल्यांकन में अर्जित अंकों के आधार पर) + 50 प्रतिशत अधिमान अंक (पूर्व सेमेस्टरों में अर्जित कुल अंकों के योग के आधार पर)
6. समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विधि पाठ्यक्रमों में जिन परीक्षार्थियों ने अपने अंतरिम विषम सेमेस्टर में किसी विषय/प्रश्नपत्र में C.O.P. उत्तीर्ण करने हेतु C.O.P. का परीक्षा आवेदन पत्र भरा है, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा जिन परीक्षार्थियों के C.O.P. विषय/प्रश्नपत्र की परीक्षा सम्पादित नहीं करायी जा सकी, उक्त परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त बिन्दु सं 04 में निर्धारित मानक के अनुरूप ही C.O.P. का परीक्षाफल तैयार कराया जायेगा।
7. समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया कि वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियां सामान्य न होने तथा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गयी है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर माह सितम्बर, 2021 के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में अपने उच्च स्तर पर रुहने की समावना है तथा ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि माह सितम्बर, 2021 में विधि पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थियों की परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ की जाती हैं तो इन परीक्षार्थियों का सत्र नियमित करने में अत्यधिक विलम्ब हो जायेगा, जिससे ऐसे परीक्षार्थियों का भविष्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा। अतः इस संदर्भ में समिति द्वारा यह भी विचार किया गया कि माह सितम्बर/अक्टूबर, 2021 में विधि पाठ्यक्रमों की अंतरिम सम सेमेस्टर/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ भी

19.7.2021

2
Sajid
19.7.2021

(तात्परा)
19.7.2021

कराया जाना प्रस्तावित है। अतः समिति द्वारा गहन विचार विमर्श की उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्न मानकों के आधार पर विधि पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षाफल घोषित किये जा सकते हैं –

- समस्त विधि पाठ्यक्रमों में प्रत्येक प्रश्नपत्र हेतु पृथक-पृथक दो ऑनलाईन Assignment Based Evaluation (ABE) सम्बन्धित परिसर/सरकार के माध्यम से सम्पादित कराकर उक्त ऑनलाईन Assignment Based Evaluation (ABE) मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कराये जायेंगे।
- 40 प्रतिशत अधिमान अंक (प्रथम ऑनलाईन Assignment Based Evaluation (ABE) मूल्यांकन में अर्जित अंकों के आधार पर) + 40 प्रतिशत अधिमान अंक (द्वितीय ऑनलाईन Assignment Based Evaluation (ABE) परीक्षाओं में अर्जित कुल अंकों के योग के आधार पर) + 20 प्रतिशत पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा (पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु इण्टरमीडिएट एवं त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु स्नातक परीक्षा (जिसके आधार पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।)
- 8. समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा विधि पाठ्यक्रमों की सम/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ माह सितम्बर/अक्टूबर, 2021 में प्रस्तावित/सम्पादित करायी जा सकती हैं।
- 9. विधि पाठ्यक्रमों के अंतरिम विषम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा जिन प्रश्नपत्रों/विषयों की परीक्षाएँ आयोजित नहीं करायी जा सकी हैं, ऐसे प्रश्नपत्रों/विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त मानक के अनुसार अंक आवंटित किये जायेंगे, अतः ऐसे प्रश्नपत्रों/विषयों में मानक के आधार पर आवंटित अंकों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सूचना अधिकार अधिनियम प्रभावी नहीं होगा।
- 10. विधि पाठ्यक्रमों में विषम सेमेस्टर में जिन प्रश्नपत्रों/विषयों की परीक्षाएँ आयोजित नहीं करायी जा सकी हैं तथा ऐसे प्रश्नपत्रों/विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त मानक के अनुसार अंक आवंटित किये जाने के पश्चात् यदि कोई परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों से आवंटित अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो ऐसे परीक्षार्थी आगामी विषम सेमेस्टर में परीक्षा आवेदन पत्र तथा शुल्क जमा करने के उपरान्त उक्त विषय/प्रश्नपत्र में सम्मिलित हो सकते हैं।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर समस्त सदरयों द्वारा कोविड-19 संक्रमण की दर में अत्यधिक वृद्धि से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत व्यापक छात्रहित में सर्वसम्मति से उपरोक्त बिन्दुओं को क्रियान्वित किये जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी।

19.7.2021

उप परीक्षा नियंत्रक
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

परीक्षा नियंत्रक,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

19.7.2021

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

19.7.2021
निदेशक, डी०आई०सी०

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

संकायाध्यक्ष, विधि संकाय,

एस०एस०ज० परिसर, अल्मोड़ा।

संकायाध्यक्ष/कला संकाय,

अतिरिक्त प्रभार, समन्वयक विधि,
डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।

Approve

V.C.

19.7.2021